Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
A.B.P.No. 391/2026, Azamnagar P.S. Case No.- 82/2026
Noor Salam VS. State of Bihar

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

A.B.P.No. 391/2026,
Azamnagar P.S. Case No.- 82/2026

1. नूर सलाम पिता फारूक, उ0त0 30 वर्ष,
निवासी मोहल्ला– धपरा, थाना– आजमनगर,
जिला– कटिहार। .....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार। .....अभियोजन।
अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0स0 लो0 अभि0 श्री ...सरदार यशवंत सिंह।
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः मो0 .....शाहिन अख्तर।
उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date 29-04-2026 आदेश

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 13.03.2026 को उपरोक्त अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता मो0 साहिन अख्तर द्वारा सशपथ पत्र नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को प्राप्त करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचिका कोहिनूर खातून ने थानाध्यक्ष आजमनगर को एक टंकित आवेदन देकर कथन किया है कि दिनांक 25.02.2026 को समय करीब संध्या के 04:00 बजे मेरे पति रास्ता होकर इफ्तार का सामान खरीदने पास के दूकान में जा रहे थे। गली के रास्ता को लेकर नूर सलाम, अताबुल, असामुल, अदिना, फारूक, ने मेरे पति को घेर कर गाली–गलौज देने लगे और बोलने लगे कि साले तुम्हें अगर एक–दो फुट रास्ता लेना हो तो ले सकते हो नहीं तो रास्ता नहीं देंगे, जिस पर मेरे पति ने बोला मुझे गाली–गलौज मत करो, मुझे रास्ता नहीं चाहिए। इतना ही बोलना था कि उक्त सभी ने गैर मजमा बनाकर लाठी डंडा एवं हरवे हथियार से लैश होकर मारपीट करने लगा, जिससे मै बचाने लगी तो नूर सलाम ने जान मारने के नियत से मेरे पति के सिर पर कुदाल से वार कर दिया, जिससे सिर काफी जख्मी हो गया ओर काफी खून बहने लगा। वही मेरे पति बेहोश होकर जमीन पर गिर गये, इतने में आइसा खातून, नूरसली, ने भी लाठी डंडा एवं रॉड लेकर दौड़े आई और मुझे मेरे पति को बुरी तरह मारने लगा। मारपीट कर मेरा गला दबाकर जान से मारने का प्रयास करने लगा। इसी क्रम में मेरे गले से 5 भरी चांदी का चैन नूरसली खातून ने बलपूर्वक छीन लिया और बाल की झोंटा पकड़ कर घसीटते हुए अपने घर के ओर ले जाने लगा। मारपीट के क्रम में मेरा साड़ी ब्लाउज को फार कर अर्धनग्न कर दिया तथा धमकी देने लगा कि आज तुम दोनों को जान से मार देंगे। मेरे पति को खून से लतपत देख मेरी गौतमी साहेनूर खातून आई ओर उठा कर ईलाज हेतु आजमजनगर अस्पताल ले आई जहां डाकटर द्वारा ईलाज पश्चात बेहतर ईलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया।
3. अग्रिम जमानत आवेदन के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता मो0 शाहिन अख्तर तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को सुना।
4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक द्वारा इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त विद्वान प्रधान सत्र न्यायालय, कटिहार अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में कोई नियमित जमानत आवेदन अथवा अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के विरूद्ध झूठा एवं मनगढंत आरोप लगाया गया है। रास्ते को लेकर उभय पक्षों में विवाद है तथा आवेदकगण ने भी सूचक वगैरह पर आजमनगर थाना कांड संख्या 83/2026 किया है तथा

Web copy of Order, Katihar

उसी केस से बचने के लिए सूचिका ने आवेदक के विरूद्ध यह झूठा मामला लाया है। आरोपित धाराओं में धारा 118(1), 109(1) एवं 303(2) को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति की है। आवेदक स्थानीय व्यक्ति है तथा वह न्यायालय की संतुष्टि पर स्थानीय जमानतदार देने तथा न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः न्यायहित में आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सूचिका कोहिनूर खातून के टंकित आवेदन के आधार पर आजमनगर थाना कांड संख्या– 42/26 दिनांक 26.02.2026 अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 109, 76, 118(1), 352, 351(2), 303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। कांड दैनिकी के कंडिका 2,3,4 में साक्षियों ने प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया है तथा कांड दैनिकी के कंडिका 29,30,43 में जख्मियों का ईलाज एवं जख्म प्रतिवेदन के संबंध में वर्णित किया गया है। जख्मी कोहिनूर खातून का जख्म कठोर एवं कुन्द पदार्थ से कारित किया गया साधारण प्रकृति का बताया गया है तथा जख्मी रजीबुल का जख्म प्रतिवेदन के संबंध में चिकित्सक द्वारा अपनी राय सुरक्षित रखा गया है। आवेदक पर आरोप है कि उसने सूचिका के पति रजीबुल के सिर पर कुदाल से वार किया था, जिससे उसका सिर जख्मी हो गया तथा खून बहने लगा। रजीबुल के जख्म के संबंध में चिकित्सक द्वारा अपनी राय सुरक्षित रखा गया है। रास्ते के विवाद को लेकर घटना घटित हुई है तथा उभय पक्षों द्वारा एक–दूसरे के विरूद्ध गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है।

7. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से विदित है कि आवेदक पर कुदाल से सूचिका के पति रजीबुल के सिर पर प्रहार कर जख्मी किये जाने का आरोप है तथा सूचिका के पति रजीबुल का सिर जख्मी पाया गया है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक द्वारा किये गये कार्य की प्रकृति को देखते हुए उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है, तदनुसार आवेदक नूर सलाम की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 13.03.2026 को न्यायहित में खारिज किया जाता है।

कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date of order	29-04-2026
Date of reserving order	29-04-2026
Uploading Date	29-04-2026
Uploaded by	

Web copy of Civil Court, Katihar